

हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

नियम एवं शर्तें

1. पंजीकरण हेतु पात्रता :-

- 1.1 आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 1.2 आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक पर आवेदक वयस्क होना चाहिए अर्थात आवेदन की तिथि पर उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
- 1.3 पंजीकरण हेतु वेबसाइट www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आवेदन करना होगा।

2. अवस्थित अधिभार/शुल्क :- समय-समय पर शासन द्वारा अधिभार/शुल्क के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश/दिशा निर्देश लागू होंगे।

3. आवेदन कैसे करें :-

- 3.1 वेबसाइट www.janhit.upda.in पर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में इच्छित सम्पत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन हेतु प्रक्रिया - **Janhit.upda.in =>Registration for Allotment =>Search HPDA =>Create Log in => Fill Application for desired property**
- 3.2 रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी हेतु) व 05 प्रतिशत धनराशि (अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु) ऑनलाइन ही जमा करायी जानी होगी।
- 3.3 सफल आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के प्रारूप के अनुसार आवेदक को रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा जारी (नोटरी के क्रमांक के स्पष्ट उल्लेख के साथ) शपथ पत्र व पंजीकरण के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखों को स्व-हस्ताक्षर से प्रमाणित कर ऑफलाइन प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात ही आवेदन आवंटन हेतु अर्ह मान्य होगा।
- 3.4 प्रश्नगत योजना में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। शासनादेश सं0 4912/9-आठ-1-99/32 हडको/97 टीसी दिनांक 04/11/1999 में दिये गये निर्देशानुसार अलोकप्रिय सम्पत्तियों के आवंटन/निस्तारण हेतु आय वर्ग, सम्पत्तियों की संख्या एवं आरक्षण के प्रतिबंध शिथिल रहेंगे।

4. आवंटन प्रक्रिया :- सम्पत्तियां "पहले आओ-पहले पाओ" एवं यथा स्थिति के आधार पर विक्रय हेतु आवंटित की जायेगी। सम्बन्धित सम्पत्तियों के इच्छुक आवेदनकर्ताओं को वेबसाइट www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन करना होगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में सम्बन्धित सम्पत्ति के सापेक्ष वेबसाइट पर प्रथम प्राप्त आवेदन को अर्ह होने पर सम्पत्ति आवंटित की जायेगी। भवनों को फ्री-होल्ड आधार पर आवंटित/विक्रय किया जायेगा जिस हेतु भूमि मूल्य पर नियमानुसार 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क व कॉर्नर भवन होने पर 10 प्रतिशत कॉर्नर शुल्क (शासनादेशानुसार भूमि का कीमत पर) अलग से देय होगा।

5. अवशेष धनराशि का भुगतान/कब्जा/रजिस्ट्री :-

- 5.1 आवंटन धनराशि के रूप में सम्पत्ति मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी हेतु) व 25 प्रतिशत (अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु) आवंटन निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा की जानी होगी।

हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

- 5.2 ई.डब्लू.एस. भवनों हेतु अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि आवंटन की तिथि से 120 मासिक किस्तों में 07 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। निर्धारित समय पर किस्त का भुगतान न किये जाने पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
- 5.3 एल0आई0जी0 व एम0आई0जी0 भवनों हेतु अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि आवंटन की तिथि से 08 त्रैमासिक किस्तों में ब्याज की दर आवंटन के समय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की प्रथम तिथि को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की निर्धारित MCLR+1 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के अप्रैल माह में 01 वर्ष का SBI की MCLR दर 8.70 प्रतिशत है, जिसके अनुसार इस योजना में ब्याज दर 9.70 प्रतिशत रहेगी। निर्धारित समय पर किस्त का भुगतान न किये जाने पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) देय होगा।
- 5.4 किसी भी श्रेणी के सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि एवं आवंटन धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि का पूर्ण भुगतान, आवंटन पत्र की तिथि से 45 दिवस में जमा किये जाने की स्थिति में पंजीकरण धनराशि एवं आवंटन धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि पर 6 प्रतिशत की छूट, 60 दिवस में जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट एवं 90 दिवस में जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। आवंटी द्वारा जिस दिवस को पूर्ण धनराशि जमा की जायेगी, उसी दिवस अनुसार छूट अनुमन्य होगी।
- 5.5 आवंटित भवन के सापेक्ष **देय किस्तों से संबंधित सभी धनराशि** किसी भी कार्य दिवस में नगद, बैंक ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. या ऑनलाईन के माध्यम से उपाध्यक्ष, हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पक्ष में **खाता संख्या-86282160000017 आई.एफ.सी. कोड-CNRB0018628 बैंक व शाखा-केनरा बैंक, एच.पी.डी.ए., प्रीत विहार प्रथम दिल्ली रोड, हापुड** में जमा करायी जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पक्ष हापुड में देय होना चाहिए। किसी भी दशा में चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग पर आवेदक का नाम, आवेदन पत्र संख्या, भवन की श्रेणी, दूरभाष/मोबाईल नम्बर तथा ईमेल आई.डी.(यदि कोई हो) अवश्य अंकित करें।
- 5.6 ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के भवन का भौतिक कब्जा 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण+आवंटन) जमा कराने के उपरान्त किस्त किराया अनुबन्ध कराये जाने के उपरान्त लिया जा सकता है। विलेख हेतु नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
- 5.7 एल0आई0जी0 व एम0आई0जी0 श्रेणी के भवन का भौतिक कब्जा रजिस्ट्री निष्पादित कराने के उपरान्त दिया जायेगा। विलेख हेतु नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
- 5.8 किसी भी श्रेणी के भवन के कब्जों से पूर्व भूमि मूल्य का नियमानुसार पूर्ण फ्री-होल्ड शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा करना होगा तथा विक्रय/अनुबन्ध विलेख पत्र का निबन्धन कराना होगा। स्थल पर वास्तविक क्षेत्रफल व स्थिति के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है, जो आवेदक को वहन करना होगा।

हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

6. समर्पण/निरस्तीकरण/ पुनर्जीवन :-

- 6.1 आवंटन से पूर्व समर्पण व तत्काल में पंजीकरण धनराशि वापस किये जाने का प्राविधान नहीं है।
- 6.2 आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने की तिथि तक यदि समर्पण किया जाता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 6.3 यदि आवंटन धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात भवन व प्रथम किश्त की देय अंतिम तिथि तक आवंटन का समर्पण किया जाता है, तो जमा पंजीकरण धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 6.4 प्रथम किश्त की देय अंतिम तिथि के पश्चात भवन आवंटन का समर्पण किया जाता है, तो जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 6.5 यदि आवंटन पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि के अन्दर देय आवंटन धनराशि जमा नहीं की जाती है तो आवंटन निरस्त कर जमा पंजीकरण धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 6.6 आवंटन द्वारा लगातार 03 किश्तें जमा न करने पर अथवा अन्तिम किश्त की देय तिथि के 06 माह पश्चात तक उसकी कोई किश्त/धनराशि देय होने पर वह डिफाल्टर माना जायेगा। ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए व पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त शेष जमा धनराशि पर 25 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 6.7 निरस्त आवासीय सम्पत्तियों का पुनर्जीवन शासन की आर्दश कॉस्टिंग गाईड लाईन सं0 1512/आठ-1-25/ई 1820505 दिनांक 25/12/2025 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।

7. अन्य नियम व शर्तें:-

- 7.1 आवंटन स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बन्धी समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण में निहित होंगे।
- 7.2 किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र हापुड होगा।
- 7.3 समय-समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं आवेदक इन्हें अनिवार्य रूप से मानने हेतु बाध्य होगा।
- 7.4 सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान आवंटन द्वारा ही वहन किया जाना होगा।
- 7.5 उक्त सम्पत्तियां "पहले आओ-पहले पाओ" एवं यथा स्थिति के आधार पर विक्रय की जायेंगी।

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

- 7.6 सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। किसी भी सम्पत्ति को उपाध्यक्ष, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा सूची से अलग किया जा सकता है।
- 7.7 यद्यपि समस्त भूमि का अधिग्रहण विधि अनुसार समुचित मुआवजा प्रदान करने के बाद किया गया है, तदापि यदि किसी अपील/रिट/पिटीशन/पुनरीक्षण/एस एल पी आदि में मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि में वृद्धि का आदेश दिया जाता है तो उक्त बढ़ी धनराशि को चुकाने का समस्त भार (भवन की श्रेणी, ले-आउट प्लान के अनुसार) क्रेता पर होगा। उपरोक्त परिस्थिति में प्राधिकरण द्वारा क्रेता को मांग पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें अतिरिक्त देय क्षतिपूर्ति की धनराशि व अंतिम देय तिथि को दर्शाया जायेगा। यदि क्रेता उपरोक्त धनराशि नियत समय तक अदा करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण को उक्त धनराशि को भूमि राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने का अधिकार होगा।
- 7.8 आवंटी विद्युत कनेक्शन सम्बंधित विभाग से अपने खर्च पर स्वयं लेगा।
- 7.9 अधिक जानकारी सम्पत्ति प्रभारी, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण, कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
8. **असफल आवेदक :-** जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाता है, उनके द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के आवेदन पत्र में दर्शाये गये बैंक के एकाउन्ट में वापस की जायेगी।
9. **मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों को छुपाना :-** यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गई हैं अथवा उनके द्वारा किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही साथ विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।
10. **अनुमन्य प्रयोजन से भिन्न प्रयोग करना :-** परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिए ही प्रयोग किया जायेगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
11. **अनुरक्षण शुल्क :-** सम्पत्ति के पूर्ण भुगतान हेतु नियत अन्तिम तिथि से 06 माह उपरान्त तिथि, विलेख निष्पादन की तिथि अथवा कब्जा प्राप्त करने की तिथि, जो भी पहले हो, से योजना के नगर निकाय को हस्तान्तरण तक अनुरक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। शासन की आर्दश कॉस्टिंग गाईड लाईन सं0 1512/आठ-1-25/ई 1820505 दिनांक 25/12/2025 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अनुरक्षण शुल्क की वर्तमान दर रु0 10/- प्रति वर्ग मीटर बिल्ट अप एरिया है, जो आयकर विभाग के कॉस्ट इन्डेक्स के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनर्निधारित होगी।

उपाध्यक्ष
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़